हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक वीरवार, दिनांक 24 अगस्त, 2017 को माननीय अध्यक्ष, श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, शिमला-171004 में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

24.08.2017/1100 / केएस/डीसी/1

<u>माननीय मुख्य मंत्री द्वारा वक्तव्य</u>

अध्यक्षः माननीय मुख्य मंत्री जी एक सुओमोटो स्टेटमैंट देना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री सुरेश भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल से पहले ऐसा कोई नियम ही नहीं है। .... (व्यवधान)...

अध्यक्षः पहले सुन तो लीजिए। .... (व्यवधान)... आप क्या कहना चाहते हैं? (व्यवधान) पहले स्टेटमैंट तो सुन लीजिए। (व्यवधान) मुख्य मंत्री जी आप स्टेटमैंट पढ़िए।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, दिनांकः 22.08.2017 को अभियोग सं0 83/17 धारा 363,376,120 बी (व्यवधान) What is wrong, I am making a statement, आपको क्या पता मैं क्या बोल रहा हूं? (व्यवधान) आपको क्या पता मैं क्या स्टेटमैंट दे रहा हूं? With the permission of the Chair I have right to give the statement in the House. Leader of the House can give the statement. इसमें क्या बात है?

---(interruption)---.

Speaker: Government has right to make a statement any time.-(interruption)-.

संसदीय कार्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, यह कन्वेंशन रही है कि महत्वपूर्ण मसले पर विधान सभा में स्टेटमैंट दी जाती है और आपकी अनुमति से मैं स्टेटमैंट पढ़ रहा हूं। (व्यवधान) दिनांक 22.08.2017 को अभियोग सं0 83/17 धारा 363, 376, 120 बी व पोक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत पुलिस थाना धर्मपुर, जिला मण्डी में पीड़िता जिसकी उम्र 15 वर्ष है के बयान पर दर्ज किया गया है

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी----

24.8.2017/1105/av/dc/1

उद्योग मंत्री (संसदीय कार्य मंत्री)------- जारी

जिसमें उसने जाहिर किया कि एक व्यक्ति जिसका नाम रियाजुल हसन सपुत्र हुसैन अली, निवासी गांव भदियार, डाकघर ब्रांग ने अपने दो साथियों अंकज खान और आरिफ़ के साथ मिलकर मोराला कैंची मोड़ से उसे कार में अगवा कर लिया व जिसके पश्चात रियाजुल हसन ने सरकाघाट स्थित आरिफ़ खान के घर पर पीड़िता के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया।

इस अभियोग में अभियुक्त रियाजुल हसन और अंकज खान को अभियोग पंजीकृत होने के पांच घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया गया है। जबकि तीसरे अभियुक्त आरिफ को भी दिनांक 23.8.2017 को गिरफ्तार कर लिया गया है। तीनों अभियुक्तों को न्यायालय द्वारा 25.8.2017 तक पुलिस रिमांड प्राप्त हुआ है।

अध्यक्ष : आपका विषय प्रश्नकाल के बाद ले लेंगे। (---व्यवधान---) प्रश्नकाल के बाद ले लेंगे। (---व्यवधान---) आप क्या बोलना चाहते हैं? (---व्यवधान---) आप एक-एक करके बोलिए, शोर मचाने की जरुरत नहीं है। आप बोलिए, क्या बात है? What do you want to say. माननीय धूमल जी, आप बोलिए ।

24.8.2017/1105/av/dc/2

<u>व्यवस्था का प्रश्न</u>

Prof. Prem Kumar Dhumal: Speaker Sir, I am in a Point of Order. अध्यक्ष महोदय, तीन दिन से नियम 67 के तहत हम मांग कर रहे हैं कि क्वैश्चन आवर को सस्पैंड किया जाए और लॉ एण्ड ऑर्डर पर चर्चा हो। आपने कहा कि मैं नियम 67 के तहत अलाउ नहीं कर सकता। आपने पहले दो दिन सस्पैंड नहीं किया और क्वैश्चन आवर को आपने

आज भी सस्पैंड नहीं किया। आपने मुख्य मंत्री जी को किस रूल के तहत स्टेटमैंट देने की इजाज़त दी, यह कौन सा नियम है?

Speaker : Government has always right to make a statement any time. It is the prerogative of the Government during the Session.

प्रो0 प्रेम कुमार धूमल : अध्यक्ष महोदय, पहले आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए। पहले तो आप वह नियम बताइए जिसके तहत आपने सस्पैंड किया । सस्पैंड करने की बात यहां कही ही नहीं। हाउस का रिकॉर्ड निकालिए और अपनी आवाज सुनिए, जहां आपने कहा हो कि मैं क्वैश्चन आवर को सस्पैंड करता हूं और मुख्य मंत्री जी विशेष स्टेटमैंट देना चाहते हैं। वैसे क्वैश्चन आवर से पहले यह होती ही नहीं, नियमों का उल्लंघन आपने स्वयं किया है। आपने मुख्य मंत्री जी को बिठा दिया और संसदीय कार्य मंत्री जी ने पढ़ना शुरू कर दिया। आपने कब कहा कि मुख्य मंत्री जी स्टेटमैंट देने के काबिल नहीं है इसलिए संसदीय कार्य मंत्री स्टेटमैंट देंगे। इसलिए नियमों की धज्जियां आप स्वयं उड़ा रहे हैं।

अध्यक्ष : मैंने अगर संसदीय कार्य मंत्री को अलाउ किया है तो इसका मतलब यह है कि । have allowed him और इनको बोलने का हक दिया गया है।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमल : अध्यक्ष महोदय, यह सदन नियमों से चलता है। पिछले धर्मशाला के सैशन में आपने पहली बार श्री सुरेश भारद्वाज जी को सस्पैंड कर दिया था और यह कहा था कि ये आपकी कुर्सी पर क्यों बैठ गये, आपने इजाज़त नहीं दी थी। पिछले कल यहां पर कोई और माननीय सदस्य बैठकर हाउस को एडजर्न कर गये, आपने उनको सस्पैंड कब किया?

24.8.2017/1105/av/dc/3

अध्यक्ष: मैंने उनको परमिशन दी थी।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमल : आपने उनको परमिशन कब दी?

Speaker: I had given the permission to her.

Prof. Prem Kumar Dhumal: When did you announce.

अध्यक्षः मैंने मैम्बर को परमिशन दी थी कि you just conduct it and I am coming afterwards.

प्रो0 प्रेम कुमार धूमल : अध्यक्ष महोदय, ऐसा है, आप सारे नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। हाउस में किसी को पता नहीं है।

अध्यक्ष : आप मिसअंडरस्डैंड कर रहे हैं।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमल : आप अपने तौर पर ही कह देते।

Speaker : You don't know the facts of the case, I had permitted the Hon'ble Member to sit here and announce on my behalf.

प्रो0 प्रेम कुमार धूमल : आज आपने नियम 67 के तहत क्वैश्चन आवर को सस्पैंड कब किया? How did you allowed the Chief Minister to make a statement and when did you allowed the Parliamentary Affair Minister to make a statement.

अध्यक्ष : मैंने आपको कहा कि गवर्नमैंट (---व्यवधान---)

प्रो0 प्रेम कुमार धूमल : बगैर सस्पैंड किए स्टेटमैंट हो ही नहीं सकती थी।

Speaker: Government has always prerogative to make a statement during the House .

श्री महेन्द्र सिंह : ऐसा कहां लिखा हुआ है? कौन-सी किताब में लिखा हुआ है? (---व्यवधान---)

श्री टी सी द्वारा जारी

24.08.2017/1110/टी0सी0वी0/एच0के0/1

Hon'ble Speaker Contd--

There is nothing wrong in it when I have allowed The Hon'ble Chief Minister to make a statement. ---(interruption)---

डॉ0 राजीव बिंदल: माननीय अध्यक्ष महोदय, आप 3 दिन से किसी भी सदस्य को बोलने की परमिशन नहीं दे रहे हैं और आज आप स्टेटमैन्ट देने के लिए परमिशन दे रहे हैं। ये कौन-सा नियम है।

Speaker: Government has prerogative to make any statement any time. ---(व्यवधान)--- मैं यह कहना चाहता हूं कि जैसे आज प्राइवेट मैंबर- डे हैं लेकिन Government's Business has priority over that. ---(व्यवधान)--- अगर गवर्नमेंट का बिजनैस होगा तो उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। ---(व्यवधान)--- क्या आपको विधान सभा के रूल्ज़ पता है? ---(व्यवधान)--- आप जिस तरीके से बोल रहे हैं---(व्यवधान)--- आप किस चीज़ के लिए बोल रहे हैं? श्री महेन्द्र सिंह जी आप बोलिए।

श्री महेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, आप हमारी बात तो सुनिए। मैंने पिछले कल नियम-67 के अन्तर्गत अपना नोटिस दिया है। मेरे विधान सभा चुनाव क्षेत्र के अन्दर एक 15 साल की बच्ची, जो अनुसूचित जाति से संबंध रखती है और उसके पिता जी आज से 5 साल पहले स्वर्ग सिधार गये हैं। उसकी माता जी बीमार पड़ी हुई है और वह बच्ची अपने ननिहाल में रहकर शिक्षा ग्रहण कर रही है। उसकी तबीयत खराब थी और वह अस्पताल जाने के लिए सड़क में खड़ी होकर बस का इंतजार कर रही थी। एक काले रंग की गाड़ी आई, उसमें 3 नौज़वान लड़के थे, उन्होंने उस लड़की को पकड़ा और अपनी गाड़ी में डालकर सरकाघाट के होटल में ले गये तथा तीनों ने उसके साथ सामुहिक दुष्कर्म किया। उस लड़की की माता जी हरिद्वार गई हुई थी और वहां से वापिस आ रही थी। इन लड़कों ने पूरा दिन और रात उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद दूसरे दिन सुबह उसको धर्मपुर के बाज़ार में छोड़ दिया। ये तीनों एक ही समुदाय से संबंध रखते हैं। उनके नाम है- आरिफ खान, पंकज़ खान, सुपुत्र श्री मोहम्मद ख़ान, रियजूल हुसैन सुपुत्र श्री हुसैन अली और ये तीनों एक ही गांव के हैं।

24.08.2017/1110/टी0सी0वी0/एच0के0/2

माननीय अध्यक्ष जी, कल मैं आपसे अनुमति चाह रहा था कि कम-से-कम हमें इतने संवेदनशील विषय को इस सदन में रखने की अनुमति दी जाये। इसको लेकर पुलिस

के ऊपर भी दबाव बनाया गया। उस क्षेत्र से पिछली बार कांग्रेस के टिकट पर जिस व्यक्ति ने चुनाव लड़ा है, उन्होंने दवाब बनाया कि इस बात दबा दो। पुलिस इसकी छानबीन न करें और उस परिवार के साथ कोई-न-कोई नेगोशिएशन कर लो। मैंने जब परसों रात को एस0एच0ओ0, धर्मपुर को फोन किया, तो वह कहने लगे कि हां ऐसी वारदात सुनने में आई है। मैंने 10 बज़े रात को फोन किया उस समय एस0एच0ओ0 ऐसी बात कहता है, जबकि उस बेटी ने खुद जाकर पुलिस स्टेशन में कहा कि मेरी एफ0आई0आर0 दर्ज़ करो। माननीय अध्यक्ष जी, उसके उपरान्त

श्रीमती एन0एस0 द्वारा जारी...

24.08.2017/1115/ns/hk/1

श्री महेन्द्र सिंह ----द्वारा जारी।

जब हमने कहा तब जा करके पुलिस ने मजबूरी में उन अपराधियों को पकड़ा। क्योंकि पुलिस पर कांग्रेस पार्टी का दबाव था कि इस मामले को दबाया जाए। तब यह उनकी मजबूरी बन गई । मैंने कहा कि मैं कल इस मामले को विधान सभा के अन्दर उठाने जा रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, उसके बाद पुलिस दौड़ी और दो अपराधियों को रात और एक अपराधी को दिन में पकड़ा गया। इनको पकड़ने के उपरांत एक बड़ी अज़ीब सी घटना हुई। उस बच्ची को मैडिकल के लिए मण्डी अस्पताल ले गए और उसकी मां के पास मैडिकल के लिए पैसे नहीं थे। उसने मुझे फोन किया कि भाई साहब मेरे पास पैसे नहीं हैं और मुझे कहते हैं कि बच्ची का मैडिकल होना है और आप इसके पैसे जमा करवाईये। ऐसा क्या हो गया? एक अनाथ बच्ची, एक पीड़िता के लिए भी कह रहे हैं कि तुम पैसे लाओ तभी तुम्हारा मैडिकल होगा। माननीय अध्यक्ष जी, आज उस बच्ची और उसके परिवार के ऊपर इतना दबाव बनाया जा रहा है कि इस बात को खत्म करने की कोशिश करो।

इसी प्रकार से आज सारे हिमाचल प्रदेश में ऐसी घटनाएं हो रही हैं जैसी शिमला ज़िला के अन्दर गुड़िया का प्रकरण हुआ है। विपक्ष क्या चाहता है? माननीय अध्यक्ष जी, विपक्ष तो एक ही बात चाहता है कि इतनी संख्या में जो बलात्कार हिमाचल प्रदेश में हो रहे हैं उनके ऊपर पुलिस क्या कर रही है? पुलिस की दोगली नीति क्यों हैं? मेरा कहना है कि पुलिस को जिस प्रकार से काम करना चाहिए हिमाचल प्रदेश की पुलिस उस तरीके से काम नहीं कर रही है। विपक्ष के सभी माननीय सदस्य इन मामलों पर चर्चा की मांग कर रहे

हैं। हमारे विपक्ष के नेता माननीय प्रो0 प्रेम कुमार धूमल जी ने आपसे बार-बार अनुरोध किया कि आप सारे नियमों को निरस्त करके प्रदेश के अंदर जो कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, उस पर चर्चा करें।

अध्यक्ष महोदय, आज आपने यहां पर एक नया सिस्टम शुरू कर दिया है। आप हमें कहते हैं कि नियम-67 के अन्तर्गत चर्चा नहीं हो सकती है और प्रश्नकाल को बन्द नहीं किया जा सकता है लेकिन दूसरी तरफ आप मुख्य मंत्री जी को कहते हैं कि अपनी स्टेटमैंट दे दो। मुख्य मंत्री महोदय अपनी स्टेटमैंट देने में नाकाम रहे तो संसदीय कार्य मंत्री जी ने स्टेटमैंट देनी शुरू कर दी। ऐसा क्या हो गया? क्या हम चुने हुए नुमाईंदे नहीं हैं? ....(व्यवधान)...

24.08.2017/1115/ns/hk/2

अध्यक्ष : इसमें क्या हो गया? I allowed him. ....(व्यवधान)...

मुख्य मंत्री : सुनिए, बैठिए। यह स्टेटमैंट मेरी है। मैंने अपनी स्टेटमैंट पढ़ी है। ....(व्यवधान)... I have hurt my eye that is why I am resting it. ....(व्यवधान)...

श्री महेन्द्र सिंह : मुख्य मंत्री महोदय ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। इन्होंने कहा है कि भाजपा के विधायक जंगल में होने चाहिए। इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या होगी?

संसदीय कार्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वे तीनों अपराधी पुलिस रिमांड पर हैं। लेकिन विपक्ष वाले यह नहीं चाहते कि पुलिस ने जो कार्रवाई की है उसको एप्रीशिएट किया जाए। ....(व्यवधान)... विपक्ष वाले उसका विपरीत राजनीतिकरण करना चाह रहे हैं। ....(व्यवधान)...

श्री महेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, जब तक इन मामलों पर चर्चा नहीं होगी तब तक कोई और चर्चा नहीं होगी। ....(व्यवधान)...

24.08.2017/1115/ns/hk/3

श्री महेश्वर सिंह : अध्यक्ष महोदय, पिछले कल ज़िला कुल्लू के बजौरा क्षेत्र में एक 17 वर्षीय नाबालिग लड़की को 27 वर्षीय युवक जबरदस्ती पकड़ कर ले गया और फिर उसके

साथ बलात्कार किया। लड़की ने घर जाकर मां-बाप को बताया और जब उसका मैडिकल करवाया गया तो यह साबित हो गया कि इसका बलात्कार हुआ है। इस प्रकार की घटनाएं निरन्तर बढ़ रही हैं। काश अगर गुड़िया कांड में सरकार ने दोषियों को संरक्षण न दिया होता तो आज सारे हिमाचल प्रदेश में ज़िलावार ऐसी घटनाएं घटित न होती। यह बड़े खेद का विषय है कि आप हमें प्रश्नकाल को स्थगित करके नियम-67 के अन्तर्गत चर्चा करने का अवसर प्रदान नहीं कर रहे हैं।

Speaker : It cannot be discussed under Rule-67. मैंने आपको चर्चा के लिए इन्वाइट किया था कि आप नियम-130 के अन्तर्गत चर्चा कीजिए और उसमें आप सभी बोल सकते हैं। ....(व्यवधान)... Discussion under Rule-67 is not allowed. I have rejected that case.

संसदीय कार्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इनके बारे में स्टेटमैंट आ गई और इन्होंने अपना पक्ष रख लिया। आज गैर-सरकारी दिवस है, सबकी चर्चा कैसे होगी? ....(व्यवधान)...

अध्यक्ष : माननीय कौल सिंह ठाकुर जी आप बोलिए। ....(व्यवधान)... एक मिनट, माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं, आप इनको सुनिए।

माननीय मंत्री, आर0 के0 एस0 द्वारा जारी।

24/08/2017/1120/RKS/YK/1

Health and Family Welfare Minister: Hon'ble Speaker, Sir, Shri Mahender Singh has raised the issue of a girl. This is really a very unfortunate incident and we also condemn it. But I congratulate the Police as they arrested the accused within five hours and they have been kept behind the bars. I assure the Hon'ble House that the Hon'ble Member is making political issue of the case. This is incorrect that political pressure was there. अगर यह पोलिटिकल प्रैशर होता तो उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता और उनकी एफ.आई.आर. धारा 363 व धारा 376 में दर्ज़ नहीं होती। They have been arrested and sent for the Police remand and appropriate action will be taken against them.

जहां तक गुड़िया केस का सम्बन्ध है, सरकार ने इस केस को तुरन्त सी.बी.आई. को भेजा। सी.बी.आई. भारत सरकार के अधीन है और सी.बी.आई. भी अभी तक कुछ नहीं कर पाई है। सी.बी.आई. को भी माननीय उच्च न्यायालय ने फटकार लगाई है और कहा है कि जल्द-से-जल्द दूध-का-दूध और पानी-का-पानी होना चाहिए। हमारी सरकार किसी भी मुलज़िम को नहीं बख्शेगी। जो भी कानून अपने हाथ में लेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

24/08/2017/1120/RKS/YK/2

अध्यक्षः माननीय सदस्य, श्री रविन्द्र सिंह जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे?

श्री रविन्द्र सिंहः माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही चिन्ता का विषय है और ऐसे ही विषय पर पहले भी चर्चा हो चुकी है। इसलिए जो बात पहले हो चुकी है मैं उसको दोहराना नहीं चाहूंगा। मैंने उस समय भी इस घटना के बारे में माननीय सदन में कहा था। वर्तमान सरकार के सत्ता में आने के उपरान्त निरंतर ऐसी घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। प्रदेश में बच्चियों की आबरू ख़तरे में है। माननीय मुख्य मंत्री जी एक घटना 16 जनवरी, 2014 की है जो रिकॉर्ड में भी है-"चारों ओर दरिंदगी, दरिंदगी की निगाह- नहीं मिली पनाह"। इस घटना के बारे में मैंने उस समय भी कहा था। यह लड़की किन्नौर से रामपुर अपने रिश्तेदारों से मिलने आई थी। जब वह शाम को रामपुर पहुंची तो अपने रिश्तेदारों के घर जाने के लिए ऑटो रिक्शा लेने के लिए बस अड्डे पर खड़ी थी। जैसे धर्मपुर में पिछले कल घटना घटी वैसे ही यह घटना 16, जनवरी 2014 को घटी थी। उस लड़की को बहला-फुसला कर वहां के कुछ गुंडातत्व उठाकर ले गए थे। उस लड़की को तीन दिन तक उन गुंडातत्वों ने अपनी कैद में रखा और 19 जनवरी को इन गुंडातत्वों ने इस लड़की को बस अड्डे के पास छोड़ दिया । तीन दिन तक उसके साथ दुष्कर्म होता रहा। माननीय मुख्य मंत्री जी गृह विभाग आपके पास है लेकिन साढ़े तीन वर्ष बीत गए, पीड़ित की माता जी ने एफ.आई.आर. दर्ज़ करवाई है परन्तु आज तक उन गुण्डों का कुछ पता नहीं चला। यह गुण्डे कौन हैं? इन गुण्डों को किसने पाला है? ये कोटखाई, रामपुर, धर्मपुर, हमीरपुर और कुल्लू के गुण्डे कौन हैं? ऐसी घटनाऐं क्यों घट रही हैं?

अध्यक्षः माननीय सदस्य, श्री रविन्द्र सिंह जी, आप स्टेटमैंट मत दीजिए। आपको अपनी बात कहनी है तो कहिए। (व्यवधान)... आप चर्चा नहीं कर सकते। (व्यवधान)... बहुत हो गया। (व्यवधान)... Not to be recorded. This is wrong. You can't discuss the matter. आप मैटर डिस्कस नहीं कर सकते हैं। आप अपनी बात रखिए। माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी आप कुछ बोलना चाहेंगे?

24/08/2017/1120/RKS/YK/3

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, अस्पताल में एम.एल.सी. मुफ्त किया जाता है और यह मुफ्त ही हुआ है। ये झूठ कह रहे हैं कि एम.एल.सी. के लिए पैसे मांगे गये। आज गैर- सरकारी सदस्य कार्य दिवस है। इसमें आपके रैजोल्यूशन लगे हैं और मैं चाहूंगा कि आप इसमें डिस्कस करें।

अध्यक्ष श्री0 बी0 एस0 द्वारा जारी...

24.08.2017/1125/बी एस/ वाई के/1

अध्यक्षः माननीय सदस्य श्री महेन्द्र सिंह जी से कल दिनांक 23.08.2017 को 4:13 बजे नियम 67 के अन्तर्गत स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर मैंने गम्भीरता से विचार किया है। यह विशेष चर्चा नियम- 67 की परिधि में नहीं आती है। मैंने इस विषय को प्रक्रिया नियमों के अनुसार नियम-62 में परिवर्तित करके कल दिनांक 25 अगस्त, 2017 को चर्चा हेतु निर्धारित कर दिया है। मैंने आपको चर्चा के लिए मना नहीं किया था लेकिन ये नियम- 67 के अन्तर्गत नहीं आता इसलिए आप नियम- 62 के अन्तर्गत या किसी अन्य रूल के अन्तर्गत चर्चा कर लीजिए। आप चर्चा कर सकते हैं। चर्चा हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने कल भी कहा था कि चर्चा हो सकती है।

संसदीय कार्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी-अभी माननीय सदस्य श्री महेन्द्र सिंह जी ने भी अपनी बात रखी और यह बात स्पष्ट हो गई की तीन आदमी गिरफ्तार किए गए। वे पुलिस रिमांड पर हैं।....(व्यवधान)....

अध्यक्षः मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि किसी भी मैटर पर चर्चा न करें। आपने जो अपनी बात रखनी है उसे कहिए। अभी चर्चा नहीं हो सकती।

24.08.2017/1125/बी एस/ वाई के/2

श्री जय राम ठाकुरः माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने एक व्यवस्था दी जिसमें माननीय श्री महेन्द्र सिंह जी द्वारा नियम 67 के अन्तर्गत चर्चा मांगी गई थी। आपने उसे परिवर्तित करके नियम-62 के अन्तर्गत लगाया है। मैंने नियम- 62 के अन्तर्गत बहुत दिन पहले एक नोटिस दिया था। हम उस नोटिस को ढूंड रहे हैं पर कहीं भी उसका जिक्र नहीं मिल रहा है। मेरे विधान सभा चुनाव क्षेत्र में होशियार सिंह, फोरेस्ट गार्ड का नौजवान जिसकी मां का जन्म देने के कुछ दिन बाद ही देहांत हो गया था; पिता जी का भी देहांत हो गया था

और उसका पालन-पोषण उसकी दादी ने किया। उसके बाद वन विभाग में उसे फोरेस्ट गार्ड की नौकरी मिली। नौकरी लगने के तीन महीने बाद होशियार सिंह गायब हो जाता है, परिवार के लोग मुझे फोन करके के कहते हैं कि हमारा बेटा नहीं मिल रहा है वह गायब हो गया है। मैंने इस विषय पर एस0पी0 मण्डी और फोरेस्ट विभाग के अधिकारियों से बात की । एस0पी0 मण्डी ने कहा कि इस मामले में या तो फोरेस्ट डिपार्टमेंट को एफ0आई0आर0 करनी होगी या ये एफ0आई0आर0 परिवार के लोगों को करनी पड़ेगी। मैंने विभाग को भी कहा और परिवार के लोगों को भी कहा कि एफ0आई0आर0 करिये। अंततोगत्वा एफ0आई0आर0 दर्ज हुई और चार दिन बाद एफ0आई0आर0 दर्ज होने के बाद होशियार सिंह की घर से दूर जंगल में 20 फुट ऊपर एक पेड़ पर उलटी लटकी लाश मिलती है। एफ0आई0आर0 दर्ज होने के बाद मामला 302 में दर्ज होता है लेकिन एक दिन के बाद 302 का हत्या का मामला, 306 आत्महत्या में बदल दिया गया। जांच अभी शुरू हुई थी। कोई भी रिपार्ट अभी नहीं आई थी। जांच अभी शुरू ही हुई थी परन्तु बहुत सारे प्रश्न खड़े हो गए। अध्यक्ष महोदय, हमें एक दिन के लिए यह बातें कहने से आप रोक लेंगे । आप तो हमें एक दिन के लिए रोक लेगें लेकिन आप लोगों को नहीं रोक सकते।

संसदीय कार्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सदन नियमों से चलता है। माननीय सदस्य किस नियम के तहत चर्चा कर रहे हैं? ये इस तरह चर्चा नहीं कर सकते। ... (व्यवधान)...

अध्यक्ष : आप क्या डिस्कस कर रहे है। This is not the matter to be discussed here.

24.08.2017/1125/बी एस- वाई के/3

श्री जय राम ठाकुरः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि नियम 62 में कॉलिगं अटेंशन मोशन के अंतर्गत मुझे बोलने का मौका दीजिए लेकिन नहीं मिला।

अध्यक्ष : मैंने आपको कल भी कानून-व्यवस्था पर समय दिया था। आप उसमें बोल सकते थे।

जय राम ठाकुरः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि नियम 67 में नहीं नियम 62 में नहीं, आखिर चर्चा हमें किस नियम के अन्तर्गत मिलेगी। यह बहुत गम्भीर विषय है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मामला सब ज्यूडिस भी नहीं है। इस मामले की अभी तक जांच चली है। जांच होने के बाद इस पर चर्चा की इजाजत खुली मिलनी चाहिए थी। एक और घटना मैं पिछले कल की सुनाता हूं ।

श्री डी0टी0 द्वारा जारी.....

24.08.2017/1130/DT/AG/1

अध्यक्षः माननीय सदस्य आप किस्से मत सुनाइए। नहीं तो मैं आपकी स्पीच रिकॉर्ड नहीं करवाऊंगा। आप अपनी बात रखिए। Are you making a speech? आप किस्से नहीं सुनाएंगे। मैं आपको नियम-130 और नियम- 62 के अंतर्गत चर्चा के लिए समय दूंगा। कल जब आपकी चर्चा लगेगी तो आप उसमें बोल लीजिए। (व्यवधान...) किसी किस्से पर आप चर्चा मत कीजिए। मैं किसी रूल के अंदर आपको चर्चा करने की इज़ाजत दूंगा। आप उसमें चर्चा कर लेना।

श्री जय राम ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, मैं विधान सभा की सुरक्षा से संबंधित मामला कहना चाहता हूं।

अध्यक्षः माननीय सदस्य जब मैं चर्चा का समय दूंगा तो आप चर्चा कर लेना। अभी प्रश्नकाल का समय है और इसमें कोई डिस्कशन नहीं होगी।

श्री जय राम ठाकुरः माननीय अध्यक्ष जी, आप मेरी बात तो सुनिए।

अध्यक्षः मैंने काफी सुन लिया है और आप 15 मिनट से बोल रहे हैं।

श्री जय राम ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, कल रात जब मैं शिमला आ रहा था और रात को बालूगंज से आगे जैसे ही मेरी गाड़ी क्रोस हुई तो मेरी गाड़ी ने एक अन्य गाड़ी से पास लिया। पास लेने के उपरान्त जो गाड़ी मेरी गाड़ी के पीछे थी वो लगातार ज़ोर से हॉर्न बजाती रही। सीसल होटल के समीप उसने हमारी गाड़ी को ओवरटेक किया और हमारी गाड़ी को रोकने के लिए इशारा किया। मैंने पुलीस अधीक्षक शिमला को फोन करके गाड़ी का नम्बर बताया और गाड़ी का नम्बर है एच0पी0 10ए-2450. माननीय अध्यक्ष महोदय, उस गाड़ी वाले के इशारा करने के बाद भी हम नहीं रूके क्योंकि मैं उसको जानता नहीं था? इसलिए मैंने अपने पी0एस0ओ0 से पूछा की ये कौन है और ऐसा क्यों कर रहे हैं? पी0एस0ओ0 ने कहा यह लोग लगातार पीछे से हॉर्न बजा रहें हैं। जब हमारी गाड़ी विधान सभा गेट के अन्दर प्रवेश हुई तो हमारी गाड़ी के पीछे उसकी गाड़ी भी विधान सभा के गेट के अन्दर प्रवेश हुई। विधान सभा के गेट के समीप जो बेरियर है मै वहां रूका और मैने वहां तैनात पुलिस कर्मचारी को कहा कि यह जो पीछे गाड़ी है इसके चालक को रोकिये और इससे पूछिये की यह लगातार हॉर्न क्यों बजा रहा है?

24.08.2017/1130/DT/AG/2

अध्यक्ष महोदय, उसके बाद जैसे ही पुलिस वाला उसकी तरफ बढ़ा उसने बैक गेयर लगा करके तुरंत गाड़ी को पीछे किया और तेज गति से गाड़ी को निकाल कर भाग गया। यह लगभग पौने 10.00 बजे की बात है। मैने पुलिस वाले को कहा कि इसकी गाड़ी का नम्बर नोट कीजिए । पुलिस वाले ने उसकी गाड़ी का नम्बर नोट किया और बाद में मैंने भी उससे इस नम्बर को नोट किया। मैंने इस विषय में रात्री 10.00 बजे एस0पी0 शिमला से बात की। मैंने कहा कम-से- कम उस आदमी का पता तो करना चाहिए कि वह कौन था? उस गाड़ी में दो लड़के थे, ये लड़के कौन थे और आखिरकार यह ऐसा क्यों कर रहे थे? पुलिस वालों ने कहा कि आप गाड़ी का नम्बर मैसेज़ करके भेज दीजिए। मैंने उसी वक्त मैसेज करके भेज दिया। सुबह थाने का एस.एच.ओ. मेरे पास आया और कहने लगा कि सर, क्या करना है? मैंने कहा अभी तक आपने कुछ भी नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, उस समय जब मैं पुलिस पोस्ट में पुलिस वालों से मिला तो मैंने उनको कहा कि आप वायरलैस मैसेज कीजिए। उन्होंने कहा कि हमारे पास वायरलैस नहीं है। यहां पर विधान सभा लगी

हुई है और आदमी विधान सभा के परिसर के अंदर घूसता है और गाड़ी को चेज़ करता है। पुलिस पोस्ट पर जो आदमी पोस्टिड है वह कहता है कि हमारे पास वायरलैस सैट नहीं है और यह ट्रैफिक वालों के पास होता है। मैंने पुलिस वालों को कहा कि उन लोगों को पकड़ना तो चाहिए था। उनके तौर-तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने शराब पी रखी थी। सुबह पौने 10.00 बजे पुलिस के एस.एच.ओ. मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि मैंने गाड़ी वाले से बात की है। मैंने उनको कहा कि आपने कार्रवाई क्या की है? एस.एच.ओ. कहता है सर, अगर आप कहते हैं तो मैं उनको थाने बुला लेता हूं। जो कार्रवाई 5 मिनट के अंदर होनी चाहिए थी उस पर 12 घण्टे के बाद कार्रवाई होती है। अध्यक्ष महोदय, यह बात मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि यहां पर विधान सभा सत्र चला हुआ है और विधान सभा के परिसर में सुरक्षा की ऐसी स्थिति है।

अध्यक्षः माननीय सदस्य तभी तो मैं आपको कह रहा था कि मैं आपको समय दूंगा। धूमल जी आप कुछ बोलना चाहेंगे?

धूमल जी श्री एस0 एल0एस0 द्वारा ...जारी

24.08.2017/1135/SLS-AG-1

प्रोफ़ेसर प्रेम कुमार धूमल : अध्यक्ष महोदय, आप सवाल उठा रहे हैं कि हर बार नियम-67 के अंतर्गत ही क्यों नोटिस दिया जा रहा है। यह इसलिए क्योंकि प्रतिदिन ऐसी घटनाएं घट रही हैं। अभी धर्मपुर की घटना का ज़िक्र हुआ और साथ में कुल्लू में घटी घटना का भी ज़िक्र हुआ। हमीरपुर जिले की भी आज एक और ख़बर आई है कि वहां 15 साल की नाबालिक बच्ची के साथ 48 वर्ष के व्यक्ति ने दुराचार किया और पुलिस उसको अभी तक अरैस्ट नहीं कर पाई है। जब हम इन मामलों को सदन में उठाते हैं तो माननीय मुख्य मंत्री जी की एक स्टेटमैंट आती है जो आज अख़बारों में छपी है कि 'विधान सभा के बजाये जंगल में होने चाहिए भाजपा विधायक'। मुख्य मंत्री महोदय, आपके कारण और आपके प्रशासन के कारण ये विधान सभा ही जंगल बन गई है। इस तरह की टिप्पणियां करना कि कोई नेता कमज़ोर है, उसका नियंत्रण नहीं है, यह ठीक बात नहीं है। आपका कितना नियंत्रण है यह रोज़ सामने आ रहा है। अब आपने 'काली भेड़ें' बोलना बंद कर दिया

क्योंकि गद्दी समुदाय नाराज़ हो गया। अब 'काले कौए' और 'सफेद कौए' की भाषा आ गई। इसलिए आप कृपया अपनी एज और स्टेज का ध्यान रखकर ही कमैंट किया करें।

अध्यक्ष महोदय, हमें लगता है कि हम भी विधान सभा से एक गलत मैसेज दे रहे हैं। अगर गुड़िया कांड पर और जो मामले शुरू में आपके ध्यान में लाए गए, उन पर सही चर्चा करवाई गई होती तो यह बात न होती। अब भी पिछले 3 दिनों से प्रश्न काल स्थगित हो ही रहा है। अगर इसे सही ढंग से स्थगित करके चर्चा करवाई गई होती तो एक मैसेज down the line जाता कि विधान सभा, विधान सभा अध्यक्ष तथा सरकार इन मुद्दों पर गंभीर हैं और अब समाज विरोधी तत्वों पर कार्रवाई होगी। गुड़िया कांड के बाद अब तक कितनी घटनाएं हो गई? पहले कुल्लू में इस तरह का कांड हुआ, फिर गुड़िया कांड हुआ, उसके बाद चम्बा के तीसा में ऐसा कांड हुआ, फिर सरकाघाट में ऐसा कांड हुआ, उसके बाद धर्मपुर में और कांड हो गया और अब हमीरपुर में भी इसी तरह का कांड हो गया है। प्रदेश में ऐसा कौन-सा जिला बचा है जहां इस तरह की घटनाएं नहीं हो रही हैं। अगर इस बात को गंभीरतापूर्वक लेकर हम चर्चा नहीं करेंगे तो फिर प्रदेश का कौन-सा मुद्दा है जिस पर हम चर्चा करें। क्या इस पर चर्चा करें कि सरकार एक तरफ तो कहती है कि कर्मचारियों को डी. ए. की किश्त तथा इंटरिम रिलीफ देने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है और इसके लिए 800 करोड़ का कर्ज़ लिया जाएगा। आज समाचार-पत्रों में हैडलाईन में छपा है कि दो लोगों को लाभ देने के लिए 14.00 करोड़ रुपया माफ कर दिया गया। वित्त विभाग ने

24.08.2017/1135/SLS-AG-2

उसके ख़िलाफ़ कहा है। लॉ डिपार्टमैंट की ओपिनियन भी उसके अगेंस्ट है। फिर जानकारी यह भी मिली कि ए. सी. एस. अक्साईज एंड टैक्सेशन ने भी कहा था कि ऐसा कनसैशन देना इलीगल होगा। हम जानना चाहते हैं कि क्या इस प्रदेश में सरकार है? प्रदेश में लूट पड़ी है और ख़ज़ाने को ओपनली लूटा जा रहा है। अख़बार ने साथ में यह भी लिखा है कि इसमें लेन-देन हुआ है। अध्यक्ष महोदय, यह बड़े गंभीर प्रश्न हैं। ...(व्यवधान)...चलो, लेने-देन का आंकड़ा भी बाहर आ गया। इसलिए अध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं और आपसे फिर निवेदन करेंगे; वैसे आप थोड़ा-थोड़ा करके चर्चा करवा ही रहे हैं जिसके लिए हम आपके

धन्यवादी हैं, लेकिन इतने गंभीर विषय पर अगर एक दिन में चर्चा हो गई होती तो फिर इन सब विषयों पर हम ज्यादा चर्चा कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा मुख्य मंत्री से आग्रह हैं कि आप जो असंसदीय भाषा इस्तेमाल करते हैं उसके लिए विधायकों से क्षमा-याचना करें। विधायकों का अधिकार हैं क्योंकि जैसे आप विधायक चुनकर आए हैं वैसे ही हम भी विधायक चुनकर आए हैं। कोई अध्यक्ष, मुख्य मंत्री या मंत्री तब बनता है जब वह बेसिकली विधायक होता है। हर विधायक का सम्मान और सुरक्षा आवश्यक है। लेकिन साथ ही हर नागरिक को उसके जान-माल और सम्मान के लिए सुरक्षा देना आवश्यक है और यह सरकार का प्रथम दायित्व है।

श्री जय राम ठाकुर जी ने एक घटना यहां पर सुनाई। आप दूर की तो चर्चा करवाना ही नहीं चाहते लेकिन अब तो ऐसे तत्व आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं; ऐसे लोग यहां तक पहुंच गए हैं। आज जय राम जी की गाड़ी का पीछा हुआ, कल किसी और का हो सकता है।

जारी ...जारी

24/08/2017/1140/RG/AS/1

क्रमागत----प्रो. प्रेम कुमार धूमल

कल मैं भी एक जगह पर अफसोस व्यक्त करने गया था। हम रात को आ रहे थे और जो मेरे साथ थोड़ी-बहुत सिक्युरिटी थी, यदि वे नहीं होते, तो दिक्कत होती। लगभग 500 गाड़ियों का वाकनाघाट से पहले जाम लगा हुआ था, तो आप सोचिए कि क्या यहां कोई गाड़ी चैक होती है? प्रदेश में पौल्यूशन का बहुत बुरा हाल है। सारी गाड़ियां प्रदेश में धुआं फैलाती जा रही हैं और पुलिस एवं प्रशासन विभाग कहीं भी प्रभावी नजर नहीं आ रहा है। इसलिए मेरा निवेदन अब भी रहेगा, क्योंकि यह अन्तिम सत्र है और आपको इसका सम्मान मिलेगा कि आपने नियम-67 के तहत प्रश्नकाल को स्थगित करके जो यह अनौपचारिक तौर पर यहां हो रहा है, उसको आप औपचारिक तौर पर कर दीजिए और इस पर चर्चा करवाइए ताकि सभी माननीय विधायक अपने-अपने क्षेत्र के बारे में यहां चर्चा कर सकें

और अपनी-अपनी समस्याएं आपके ध्यान में ला सकें और उसके अनुसार आप दिशा-निर्देश जारी कर सकें कि उनको क्या करना है, मेरा तो आपसे यही निवेदन है।

24/08/2017/1140/RG/AS/2

डा. राजीव बिन्दल : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे आग्रहपूर्वक कहा था।

अध्यक्ष : आप बैठ जाएं और मेरी बात सुनें। आपके नेता ने विस्तृत रूप से सब बता दिया है। अब बीच-बीच में आप क्या कहना चाहते हैं?

डा. राजीव बिन्दल : मैंने आग्रहपूर्वक कहा था और मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में गए श्री संजय परमार जोकि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और एक पार्षद हैं, उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ। ---(व्यवधान)----

Speaker: Not to be recorded. It is uncalled for. देखिए, यदि आप ऐसे ही बात करते रहेंगे और सारी अखबारों की ख़बरें यहां सुनाएंगे, तो this is not the forum.

डॉ. राजीव बिन्दल : अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं।

Speaker : Not to be recorded.---(व्यवधान)----बात सुनिए आप बैठ जाइए। कृपया आप बैठ जाइए।

संसदीय कार्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जो घटना श्री जय राम ठाकुर जी के साथ घटी है---(व्यवधान)---उसकी सरकार जांच करवाएगी और यदि किसी भी माननीय सदस्य के साथ दुर्व्यवहार किया गया है, तो उसकी पूरी जांच की जाएगी।

24/08/2017/1140/RG/AS/3

प्रश्नकाल

प्रश्न सं. 3818

Speaker : Shri Vriender Kanwar, not interested.

प्रश्न सं. 3993

Speaker: Shri Rikhi Ram Kaundal, not interested.

(पक्ष एवं विपक्ष के सदस्य अपने-अपने स्थानों पर खड़े होकर नारेबाजी करने लगे)

प्रश्न सं. 4007

Speaker : Dr. Rajeev Bindal, not interested.

प्रश्न सं. 4008

Speaker : Shri Satpal Singh Satti, not interested.

संसदीय कार्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आज गैर-सरकारी सदस्य दिवस है और इनका दिन है। ये अपना दिन बर्बाद कर रहे हैं। ---(व्यवधान)----

एम.एस. द्वारा जारी

24/08/2017/1145/MS/AS/1

(विपक्ष के सभी माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर नारेबाजी करते रहे)

अध्यक्ष: अब इस मान्य सदन की बैठक दोपहर 12.00 बजे तक स्थगित की जाती है।

24.08.2017/1200/जेके/डीसी/1

सदन की बैठक अपराह्न 1200 बजे पुनः आरम्भ हुई

(विपक्ष के कुछ माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े हो गए)

अध्यक्षः अब क्या हो गया? बार-बार खड़े हो रहे हैं। एजैंडा भी चलने दीजिए। आप अभी बोल तो रहे थे।(व्यवधान) श्री सुरेश भारद्वाज जी आप क्या बोलना चाहते हैं?

श्री सुरेश भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र में सरकारें चलती हैं डिबेट से, चर्चा से । विधान सभा प्रदेश का उच्च कोटि का सदन है। यहां पर जो माननीय सदस्य आए हैं, चाहे वे किसी भी आसन पर बैठे हैं, उस ओर बैठे हैं या इस ओर बैठे हैं, सभी जनता के द्वारा चुन कर आए हैं। जैसा कि नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि उनमें से कोई मुख्य मंत्री बनेगा, कोई स्पीकर बनेगा लेकिन सबसे पहले उसको विधायक चुन कर आना पड़ेगा और जनता के मेंडेट को सभी को स्वीकार करना होता है। आप जब बात करते हैं तो कहते हैं माननीय सदस्यगण, माननीय अध्यक्ष जी और माननीय मुख्य मंत्री जी लेकिन जब माननीय मुख्य मंत्री जी विधान सभा के अन्दर चर्चा करते हैं या बाहर जब अखबारों में खबरें देते हैं, कभी माननीय मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि भाजपा के सदस्य तो नगर निगम के सफाई कर्मचारी बनने लायक भी नहीं है, भाजपा के विधायक जंगल में होने चाहिए थे यहां पर नहीं होने चाहिए थे। कभी कहते हैं कि ये तो गपोड़शंख हैं और कल हमें गुंडे कह रहे थे और यह हमें जंगल में होने चाहिए कहते हैं। विधान सभा को भी ये जंगल बना रहे हैं। तो हमारा निवेदन है कि जब तक सदन के नेता, हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री जो अपने आप को छः बार का मुख्य मंत्री कहते हैं, उनको जनता के प्रतिनिधियों को इस प्रकार की अभद्र भाषा बोलने का कोई अधिकार नहीं है और हमारा आपसे निवेदन है कि माननीय मुख्य मंत्री जी सदन के सम्मुख इन शब्दों के लिए सारे सदन से माफी मांगें तभी हम किसी चीज़ पर डिस्कशन कर सकेंगें नहीं तो यह सब नहीं चलेगा। (व्यवधान)

अध्यक्षः माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आप बोलिए क्या बोलना चाहते हैं।

24.08.2017/1200/जेके/डीसी/2

संसदीय कार्य मंत्री : **अध्यक्ष महोदय, हर 15 मिनट के बाद इनकी ओर से एक नया एजेन्डा आ रहा है।**

श्री सुरेश भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, हमारा पुराना एजेंडा तो नियम 67 का नोटिस है जिसमें हमने कहा है कि सैशन कोर्ट द्वारा जमानत पाया हुआ व्यक्ति प्रदेश का मुख्य मंत्री नहीं हो सकता है। (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, सदन की कार्यवाही का संचालन किया जाए।

श्री सुरेश भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, हम जानना चाहते हैं कि इस प्रकार की अभद्र भाषा हमारे लिए ही है या सत्ता पक्ष के लोगों के लिए भी है? ये ऐसा सुनने के आदी हैं लेकिन हम ऐसा नहीं सुनेंगें।

अध्यक्षः यह सदन के बाहर की राजनीतिक बातें होती हैं। इनको आप सदन में क्यों कर रहे हैं? (व्यवधान) बिन्दल जी, आपको क्या कहना है?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, चर्चा किस बात की हो रही है?

श्री सुरेश भारद्वाज एसएस की बारी में-

24.08.2017/1205/SS-DC/1

श्री सुरेश भारद्वाजः चर्चा इस बात की है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, वह उस पर माफी मांगें। अगर उनके बिहाफ पर आप (माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री) माफी मांगना चाहते हैं तो आप मांग लीजिए।

अध्यक्षः बिंदल साहब, अगर आपने कोई बात कहनी है तो वह कह दीजिए।

डॉ0 राजीव बिन्दलः अध्यक्ष महोदय, मेरा आग्रह है कि इस विधान सभा का अंतिम सत्र है और इस अंतिम सत्र में जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया, उदाहरणार्थ - "गुंडागर्दी और गुंडागर्दी से हम डरने वाले नहीं हैं।" क्या विधान सभा के अंदर नारे लगाना गुंडागर्दी है? यह मैं स्मरण कराना चाहता हूं कि 2010, 2011 में ये लोग इस फ्लोर पर खड़े हो करके डांस करते थे और साथ में गाने गाते थे, विभिन्न प्रकार की मुद्राएं बनाते थे। --(व्यवधान)-- हमारे विधायक की इन्होंने उंगली तोड़ दी। --(व्यवधान)-- उस विधायक की

उंगली यहीं पर टूटी थी। ऐसी स्थिति में ये कहना कि गुंडागर्दी करते हैं और गुंडागर्दी से डरने वाले नहीं हैं --(व्यवधान)--

संसदीय कार्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, कार्यवाही का संचालन किया जाए।

डॉ0 राजीव बिन्दलः इसका मतलब है कि विधायकों के ऊपर कुछ और कार्रवाई करने वाले हैं। क्या उन पर जानलेवा हमला करवायेंगे? गुंडागर्दी से डरने वाले नहीं हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आज अगर बहू-बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है तो जंगलराज हिमाचल में है। इस सरकार के कारण जंगलराज है। -(व्यवधान)-

Speaker: Not to be recorded. आप मेरी बात सुनिये। आप अपनी बात कहने के बजाय स्पीच करने लगते हैं। यह गलत बात है। जब आपको मौका दिया जाता है तब आप बोलते नहीं हैं। --(व्यवधान)--

24.08.2017/1205/SS-DC/2

<u>कागजात सभापटल पर</u>

अध्यक्षः अब माननीय मुख्य मंत्री कुछ कागजात सभापटल पर रखेंगे।

मुख्य मन्त्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूंः-

i. हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1970 की धारा 37(2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2015-16;
ii. भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, लिपिक, वर्ग-III (अराजपत्रित) लिपिक वर्गीय सेवाएं, सामान्य भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याःपीईआर(एपी)-सी-ए(3)-2/2016 दिनांक 24.07.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 02.08.2017 को प्रकाशित;

iii. भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश संचार एवं तकनीकी सेवाएं विभाग, अतिरिक्त अधीक्षक पुलिस(बेतार)/ उप अधीक्षक पुलिस(बेतार), वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याःगृह-डी-बी(1)-17/82-IV दिनांक 01.02.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 06.02.2017 को प्रकाशित;

iv. भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2016 जोकि अधिसूचना संख्याःएसटीई-ए(1)-1/2010 दिनांक 28.07.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 28.07.2016 को प्रकाशित;

24.08.2017/1205/SS-DC/3

v. भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, वैज्ञानिक अधिकारी, (जैव प्रौद्योगिकी) वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2016 जोकि अधिसूचना संख्याःएसटीई-बी(2)-7/2008 दिनांक 08.12.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 09.12.2016 को प्रकाशित;

vi. भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, प्रमुख वैज्ञानिक अधिकारी, (जैव प्रौद्योगिकी) वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2016 जोकि अधिसूचना संख्याःएसटीई-बी(3)-7/2013 दिनांक 09.12.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 09.12.2016 को प्रकाशित;

vii. भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, परियोजना अधिकारी, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2016 जोकि अधिसूचना

संख्याः एसटीई-बी(3)-9/2013 दिनांक 12.12.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 12.12.2016 को प्रकाशित;

viii. भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, प्रमुख वैज्ञानिक अधिकारी (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी) वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2016 जोकि अधिसूचना संख्याः एसटीई-बी(3)-10/2013 दिनांक 12.12.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 12.12.2016 को प्रकाशित;

ix. भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (जैव प्रौद्योगिकी) वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2016 जोकि अधिसूचना संख्याः एसटीई-बी(3)-4/2010 दिनांक 08.12.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 08.12.2016 को प्रकाशित;

24.08.2017/1205/SS-DC/4

x. भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (योजना) वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2016 जोकि अधिसूचना संख्याः एसटीई-बी(3)-5/2013 दिनांक 12.12.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 12.12.2016 को प्रकाशित;

xi. भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, डाटा एंट्री ऑप्रेटर, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2016 जोकि अधिसूचना संख्याः एसटीई-बी(2)-2/2008 दिनांक 09.03.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 09.03.2016 को प्रकाशित;

xii. हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम, 2014 (2015 का अधिनियम संख्यांक 23) की धारा 54 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त

नियम,2017 जोकि अधिसूचना संख्याःगृह (सतर्कता)ए(3)-22/2016 दिनांक 03.07.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 12.07.2017 को प्रकाशित; और

xiii. हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम, 2014 (2015 का अधिनियम संख्यांक 23) की धारा 54 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त (सेवा की शर्तें) नियम, 2016 जोकि अधिसूचना संख्याःगृह(सतर्कता)ए(3)-8/2016 लोकायुक्त नियम, दिनांक 20.10.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 27.05.2017 को प्रकाशित ।

24.08.2017/1205/SS-DC/5

अध्यक्षः अब माननीय उद्योग मंत्री कुछ कागजात सभापटल पर रखेंगे।

उद्योग मन्त्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम का 42वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2015-16 की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

अध्यक्षः अब माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री कुछ कागजात सभापटल पर रखेंगे।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 की उप धारा (5) के अन्तर्गत 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों पर वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

24.08.2017/1205/SS-DC/6

सदन की समितियों के प्रतिवेदन

अध्यक्षः अब सदन की समितियों के प्रतिवेदन होंगे। --(व्यवधान)--अब श्री अजय महाजन, सदस्य, लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री अजय महाजनः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूंः-

i. समिति के **337वें मूल प्रतिवेदन** (नवम् विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 371वां कार्रवाई प्रतिवेदन (नवम् विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग** से सम्बन्धित है; और
ii. समिति के **29वें मूल प्रतिवेदन** (दशम् विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 79वां कार्रवाई प्रतिवेदन (दशम् विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित**अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **ग्रामीण विकास विभाग** से सम्बन्धित है ।

अध्यक्षः अब श्री कुलदीप कुमार, सभापति, प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री कुलदीप कुमारः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्राक्कलन समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूंः-

---

24.08.2017/1205/SS-DC/7

i. समिति का **33वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि प्रदेश में आवास विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों की संवीक्षा पर आधारित है तथा **आवास विभाग** से सम्बन्धित है; और

ii. समिति का **34वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 23वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2016-17) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग** से सम्बन्धित है।

अध्यक्षः अब श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, लोक उपक्रम समिति, लोक उपक्रम समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगी तथा सदन के पटल पर रखेंगी।

Smt. Asha Kumari: : Mr. Speaker, Sir, with your permission I present and lay on the Table of the House following copy of the each report of the Public Undertakings Committee :-

i. समिति का **78वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 64वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2016-17) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम सीमित** से सम्बन्धित है;

ii. समिति का **79वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 29वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम सीमित** से सम्बन्धित है;

iii. समिति का **80वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 26वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम सीमित** से सम्बन्धित है; और

24.08.2017/1205/SS-DC/8

(iv) समिति का **81वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (आर्थिक क्षेत्र) 31 मार्च, 2015 के ऑडिट पैरा संख्याः3.1 की संवीक्षा पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम सीमित** से सम्बन्धित है;

अध्यक्षः अब श्री खूब राम, सभापति, कल्याण समिति, कल्याण समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

(विपक्ष के सभी माननीय सदस्य सदन के बीचोंबीच आकर नारेबाजी करने लगे।)

श्री खूब रामः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कल्याण समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूंः-

i. समिति के **17वें मूल प्रतिवेदन** (ग्यारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2009-10) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 37वां कार्रवाई प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा)(वर्ष 2011-12) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग** से सम्बन्धित है; और
ii. समिति के **19वें मूल प्रतिवेदन** (ग्यारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2009-10) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 40वां कार्रवाई प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा)(वर्ष 2011-12) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर

आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **उच्चतर शिक्षा विभाग** से सम्बन्धित है; और

iii. समिति के **23वें मूल प्रतिवेदन** (ग्यारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2009-10) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 41वां कार्रवाई प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा)(वर्ष 2011-12) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **प्रारम्भिक शिक्षा विभाग** से सम्बन्धित है।

माननीय अध्यक्ष जारी श्रीमती के0एस0

24.08.2017/1210 / केएस/एचके/1

अध्यक्षः अब श्री राकेश कालिया सभापति, जन-प्रशासन समिति (वर्ष 2017-18) समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री राकेश कालियाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमित से जन-प्रशासन समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं :-

i. समिति का 37वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि गृह विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है; और

ii. समिति का 38वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि भू-राजस्व विभाग से सम्बन्धित गतिविधियों की संवीक्षा पर आधारित है।

अध्यक्षः अब श्री कुलदीप कुमार, सदस्य, मानव विकास समिति (वर्ष 2017-18) समिति के प्रतिवेदन की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगें तथा सदन के पटल पर भी रखेंगें।

श्री कुलदीप कुमारः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मानव विकास समिति (वर्ष 2017-18) का 27वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं ।

24.08.2017/1210 / केएस/एचके/2

अध्यक्ष: अब श्री संजय रतन, सदस्य, सामान्य विकास समिति (वर्ष 2017-18) समिति के प्रतिवेदन की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगें तथा सदन के पटल पर रखेंगें।

श्री संजय रतन: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सामान्य विकास समिति, (वर्ष 2017-18), समिति का 21वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि विद्युत विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है तथा विद्युत विभाग से सम्बन्धित है, की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं ।

24.08.2017/1210 / केएस/एचके/3

कार्य-सलाहकार समिति का प्रतिवेदन

अध्यक्ष: अब श्रीमती आशा कुमारी कार्य-सलाहकार समिति के 15वें प्रतिवेदन को सभा में प्रस्तुत करेंगी और प्रस्ताव भी करेंगी कि उसे अंगीकार किया जाए।

श्रीमती आशा कुमारी: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य-सलाहकार समिति का पन्द्रहवां प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) सभा में उपस्थापित करती हूं तथा प्रस्ताव भी करती हूं कि यह मान्य सदन कार्य सलाहकार समिति द्वारा अपने 15वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों से सहमत है।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि "यह मान्य सदन कार्य-सलाहकार समिति द्वारा अपने 15वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों से सहमत है।"

तो प्रश्न यह है कि "यह मान्य सदन कार्य-सलाहकार समिति द्वारा अपने 15वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों से सहमत है।"

(प्रस्ताव स्वीकार)

24.08.2017/1210 / केएस/एचके/4

विधायी कार्य :

सरकारी विधेयकों की पुर:स्थापना

अध्यक्षः अब माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगें कि हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास (संशोधन) विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 13) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

(**विपक्ष के सभी माननीय सदस्य अध्यक्ष महोदय के आसन के समीप आकर नारेबाजी करने लगे**)

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास (संशोधन) विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 13) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास (संशोधन) विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 13) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास (संशोधन) विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 13) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

(प्रस्ताव स्वीकार)
अनुमति दी गई।

24.08.2017/1210 / केएस/एचके/5

अब माननीय मुख्य मंत्री हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास (संशोधन) विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 13) को पुरःस्थापित करेंगें।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास (संशोधन) विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 13) को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्षः हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास (संशोधन) विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 13) पुरःस्थापित हुआ।

अध्यक्षः अब माननीय उद्योग मंत्री प्रस्ताव करेंगें कि हिमाचल प्रदेश एकल खिड़की (विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2017(2017 का विधेयक संख्यांक 11) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उद्योग मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश एकल खिड़की (विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2017(2017 का विधेयक संख्यांक 11) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश एकल खिड़की (विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2017(2017 का विधेयक संख्यांक 11) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश एकल खिड़की (विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2017(2017 का विधेयक संख्यांक 11) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

(प्रस्ताव स्वीकार)
अनुमति दी गई।

24.08.2017/1210 / केएस/एचके/6

अब माननीय उद्योग मंत्री हिमाचल प्रदेश एकल खिड़की (विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2017(2017 का विधेयक संख्यांक 11) को पुरःस्थापित करेंगें।

उद्योग मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश एकल खिड़की (विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2017(2017 का विधेयक संख्यांक 11) को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्षः हिमाचल प्रदेश एकल खिड़की (विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2017(2017 का विधेयक संख्यांक 11) पुरःस्थापित हुआ।

24.8.2017/1215/av/hk/1

अध्यक्ष : अब माननीय आबकारी एवं कराधान मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 10) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

आबकारी एवं कराधान मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 10) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 10) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 10) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए?

(प्रस्ताव स्वीकार)

अनुमति दी गई।

अध्यक्ष : अब माननीय आबकारी एवं कराधान मंत्री हिमाचल प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 10) को पुरःस्थापित करेंगे।

आबकारी एवं कराधान मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 10) को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष : हिमाचल प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 10) पुरःस्थापित हुआ।

24.8.2017/1215/av/hk/2

सरकारी विधेयक पर विचार विमर्श एवं पारण

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश निरसन विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 9) पर विचार किया जाए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश निरसन विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 9) पर विचार किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश निरसन विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 9) पर विचार किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश निरसन विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 9) पर विचार किया जाए?

(प्रस्ताव स्वीकार)

अब बिल पर खण्डशः विचार होगा।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बने?

(प्रस्ताव स्वीकार)

खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।

तो प्रश्न यह है कि अनुसूची विधेयक का अंग बने?

(प्रस्ताव स्वीकार)

अनुसूची विधेयक का अंग बनी।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने?

24.8.2017/1215/av/hk/3

(प्रस्ताव स्वीकार)

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

अब माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश निरसन विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 9) को पारित किया जाए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश निरसन विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 9) को पारित किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश निरसन विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 9) को पारित किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश निरसन विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 9) को पारित किया जाए?

प्रस्ताव स्वीकार

हिमाचल प्रदेश निरसन विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 9) ध्वनिमत से पारित हुआ।

24.8.2017/1215/av/hk/4

गैर-सरकारी सदस्य कार्य

अध्यक्ष : आज गैर सरकारी सदस्य कार्य दिवस है। अब श्री महेश्वर सिंह जी द्वारा दिनांक 9.3.2017 को सदन में प्रस्तुत संकल्प का माननीय मुख्य मंत्री जी उत्तर देंगे।

माननीय मुख्य मंत्री **श्री टी सी द्वारा जारी**

24.08.2017/1220/टी0सी0वी0/वाई0के0/1

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में विभिन्न राष्ट्रीय उच्च मार्गों हेतु प्रभावित लोगों की अधिग्रहण की जाने वाली भूमि एवं इसके साथ लगती चल एवं अचल संपत्ति का मुआवजा, भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के Section-26, 28, 29 और 30, Schedule-I, II & III के प्रावधानों के अनुसार मुआवज़ा दिए जाने का प्रावधान है।

अतः उपरोक्त प्रावधानों के मध्यनजर ही प्रभावित भूमि पर निर्मित मकान व लगाए गए फल पौधों इत्यादि का नियमानुसार मुआवजा दिया जा रहा है। जोकि इस प्रकार से हैः-

1. फलदार पौधों का मूल्यांकन भू-अर्जन अधिकारी (LAO) द्वारा इन मामलों के विशेषज्ञ संबंधित जिला के उपनिदेशक बागवानी से प्राप्त किया जा रहा है, जोकि निर्धारित मानकों के आधार पर न्यायोचित मूल्यांकन प्रेषित करते हैं और इसे अवार्ड में शामिल कर लिया जाता है।

2. गैर फलदार पौधों का मूल्यांकन क्षेत्र के वन मंडलाधिकारी से प्राप्त किया जा रहा है और इन विशेषज्ञों द्वारा ही जो मूल्य निर्धारित किया जाता है उसी को भू-अर्जन अधिकारी (LAO) द्वारा मान्य माना जा रहा है। इसी प्रकार भवनों के मूल्यांकन बारे भारतीय राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों द्वारा field assessment एवं हि0 प्र0 लो0 नि0 वि0 द्वारा तय मानकों के आधार

पर सत्यापित होने के बाद मूल्यांकन को ही मान्यता दी जा रही है। उपरोक्त कार्यवाही के उपरान्त ही यह मूल्यांकन भू-अर्जन अधिकारी द्वारा अवार्ड में शामिल किए जाते हैं। इस प्रकार प्रभावित लोगों की अधिग्रहण की जाने वाली भूमि, मकान व लगाए गए फल पौधों इत्यादि का न्यायोचित मूल्यांकन किया जाता है।

इसके अतिरिक्त भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत मकानों

24.08.2017/1220/टी0सी0वी0/वाई0के0/2

आदि के मूल्यांकन की राशि 100% Solatium तथा NH Act, 1956 की धारा-3A की अधिसूचना प्रकाशित होने से अवार्ड घोषित करने तक 12% की दर से ब्याज भी दिया जाता है।

भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के Schedule-II, III में पहले से ही विस्थापित हुए लोगों के पुनर्वास हेतु प्रावधान रखा गया है। अतः मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्य इस संकल्प को वापिस लें।

अध्यक्षः क्या माननीय सदस्य अपना संकल्प वापिस लेने के लिए तैयार हैं।

श्री महेश्वर सिंह -अनुपस्थित

अध्यक्षः तो प्रश्न यह है कि "यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि प्रदेश में विभिन्न राष्ट्रीय उच्च मार्गों हेतु प्रभावित लोगों की अधिग्रहण की जाने वाली भूमि पर निर्मित मकान व लगाए गए फल-पौधों इत्यादि का मूल्यांकन कर समाज के कमज़ोर वर्गों के पुर्नवास हेतु नीति बनाए।"

जो इसके पक्ष में हैं, हां कहें,
जो इसके विरूद्ध हैं, न कहें,
न की, न की, न में रही ,

संकल्प अस्वीकार

24.08.2017/1220/टी0सी0वी0/वाई0के0/3

(विपक्ष के सभी सदस्य अध्यक्ष महोदय के आसन के नज़दीक नारेबाज़ी करते रहे)

अब श्री गुलाब सिंह ठाकुर जी अपना संकल्प प्रस्तुत करेंगे कि :-

> **This House recommends to the State Government for taking up the matter with the Union Government for immediate constitution of an Committee consisting of experts of Punjab State Power Corporation Ltd., Himachal Pradesh State Electricity Board Ltd. and the authorized Agency of the Central Government to ensure maintenance, renovation and power generation longevity of Shanan Hydro Electric Project, Joginder Nagar (H.P.) in these concluding years of the lease in view of its fastly deteriorating condition and diminishing interest of Punjab State Power Corporation Ltd."**

श्री गुलाब सिंह ठाकुर - अनुपस्थित ।

अब श्री इन्द्र सिंह, अपना संकल्प प्रस्तुत करेंगे कि "यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि प्रदेश में कुपोषण व तनाव इत्यादि के कारण अधिकतर बच्चों में बढ़ रहे बोनेपन और कम वजन की समस्या को दूर करने हेतु सरकार कारगर कदम उठाए। "

श्री इन्द्र सिंह -अनुपस्थित।

24.08.2017/1220/टी0सी0वी0/वाई0के0/4

इससे पूर्व कि मैं आज सदन की बैठक को स्थगित करूं, मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि आप आज दिनांक 24.08.2017 को सांय होटल पीटरहॉफ में आयोजित कार्यशाला, "जलवायु परिवर्तन-हिमाचल प्रदेश में अनुकूलन की अपेक्षा" से सम्बन्धित है में सादर आमंत्रित है।

अब इस मान्य सदन की बैठक शुक्रवार, 25 अगस्त, 2017 के 11.00 बज़े पूर्वाह्न तक स्थगित की जाती है।

शिमला-171004 **सुन्दर सिंह वर्मा,**
दिनांक 24 अगस्त, 2017 **सचिव।**